E-MAIL

निदेशालय गोपालन
पशुधन भवन परिसर, टोंक रोड़, जयपुर–302015
Phone.0141-2740819,2740519, 2740613, e-mail :-dir.dgs@rajasthan.gov.in

क्रमांकः–एफ.वी.3( )निगो / गौपंनसु / मुमबघो / 2016 दिनांक :–

परिपत्र

राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 से सृजित निधि के उपयोग हेतु राज्य सरकार द्वारा एफ.वी.3( )निगो /गौपनसु/ मुमबघो/16 दिनांक 23.11.2016 के द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये है। निधि नियमों के अन्तर्गत जारी परिपत्र के अनुसार जिलों की गौशालाओं द्वारा राशि का नियमानुसार उपयोग किया जा रहा है अथवा नही के संबध में निदेशालय द्वारा कुछ गौशालाओं के अंकेक्षण/जांच कराने पर निम्न स्थिति पायी गई :–

1. गौशाला द्वारा रोकड़ बही का संधारण निधारित प्रपत्र जी.ए.46 में टू कॉलम कैश बुक जिसमें कैश व बैंक का कॉलम अलग–अलग होता है, संधारित नही की जाती है केवल एक कॉलम वाली साधारण रोकड बही ही संधारित की जा रही है साथ ही प्रत्येक माह की अन्तिम तारीख को रोकड़ बही के शेष का विस्तृत विवरण एवं रोकड़ बही के प्रत्येक लेन–देन का प्रमाणीकरण अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा नहीं किया जा रहा है। प्रत्येक माह बैंक लेन–देन का बैंक मिलान पत्र भी तैयार (Bank Reconciliation Statement) करना नहीं पाया गया।
2. गौशालाओं द्वारा प्रत्येक वर्ष का आन्तरिक अंकेक्षण चार्टड अकाउन्टेंट से करवाया जाकर सहायक रजिस्ट्रर गौशाला (जिला संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग) को प्रस्तुत करना आवश्यक है परन्तु गौशालाओं द्वारा यह अंकेक्षण रिर्पोट नही भिजवाई जा रही है, चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा निर्धारित प्रारुप में दी जाने वाली रिर्पोट, जिसमें संस्था की आर्थिक स्थिति एवं आय व्यय के सम्बन्ध में अपनी राय होती है वह भी इसके साथ संलग्न होनी आवश्यक है।
3. उपयोगिता प्रमाण पत्रो पर गौशाला के दो पदाधिकारियों के हस्ताक्षर मय पद की मोहर सहित प्रमाणीकरण के बाद प्रस्तुत करने का प्रावधान होने के बावजूद भी गौशालाओं द्वारा एक पदाधिकारी के ही हस्ताक्षर पाये गये। कुछ गौशालाओं द्वारा प्राप्त सहायता राशि से अधिक व्यय कर अधिक राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी सम्बन्धित जिला कार्यालय को भिजवाना जाना पाया गया है जबकि यह उतनी ही राशि का होना चाहिये जो प्राप्त हुई है।
4. संस्था द्वारा सहायता राशि से पशु आहार क्रय नही किया जाकर मात्र चारा ही क्रय किया गया है। चारे का क्रय किसी फर्म से नही किया जाकर व्यक्ति विशेष से क्रय किया जाना पाया गया है, जिसके वाउचर्स नहीं लिये जाकर गौशालाओं द्वारा अपने लैटर पैड पर प्राप्ति रसीद मात्र ही ली गई है, उक्त प्राप्ति रसीद में भी व्यक्ति के पिता का नाम, पूर्ण पता, मोबाईल नम्बर, पहचान पत्र के नंम्बर, इत्यादि का उल्लेख नहीं है। संस्था द्वारा चारा भुगतान हेतु धर्मकांटे के वज़न की पर्ची के साथ चारा विक्रेता का पूर्ण विवरण होना आवश्यक है।

5. गौशाला द्वारा भुगतान हेतु चारा क्रय के प्रमाणित बिल मय सूचना प्रपत्र 6 में संबधित जिला कार्यालय को प्रेषित करना नही पाया गया है।
6. चारा पशु आहार के स्टॉक पंजिका का नियमित संधारण एवं सप्ताह में न्यूनतम एक बार गौशाला में संधारित स्टॉक पंजिका का निरीक्षण करना नही पाया गया। गौशाला द्वारा जिन वाउचर्स के आधार पर चारा क्रय का भुगतान उठाया गया है, उन वाउचर्स पर नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज कर रजिस्टर की पृष्ठ संख्या/दिनांक एवं अन्य विवरण दर्ज होना आवश्यक है। साथ ही गौशालाओं द्वारा संधारित स्टॉक पंजिका में प्रत्येक आइटम–वाईज स्टॉक प्रविष्टि नहीं की जाकर इकजाई स्टॉक प्रविष्टि की जाती है एवं सम्बन्धित वाउचर्स पर एक ही पृष्ठ संख्या अंकित की गई है, जो नियमानुसार सही नही है। स्टॉक रजिस्टर में प्रतिदिन प्राप्ति एवं निर्गमन स्टॉक की प्रविष्टियों पर सम्बन्धित स्टोरकीपर एवं संस्था के अधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर होना आवश्यक है।
7. गौशाला द्वारा आय–व्यय का वार्षिक विवरण पत्र को प्रवेश द्वार पर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करने का अभाव पाया गया जो प्रदर्शित कराया जाना आवश्यक है।
8. संस्था को सूचना एवं प्रौद्योगिकी की आधुनिक प्रणाली अपनाते हुए डाटा का संधारण कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से करने का प्रावधान है जबकि जॉच के दौरान गौशाला द्वारा इस प्रक्रिया को अपनाने का अभाव पाया गया है।

अतः उक्त संदर्भ में समस्त जिला संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वे उल्लेखित उक्त बिन्दुओं की पालना संबधित गौशाला के नोडल पशु चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से सुनिश्चित करावें ताकि अंकक्षेण के दौरान अनावश्यक ऑडिट पैरा नहीं बने।

<u>कृपया उपर्युक्तानुसार पालना सुनिश्चित की जावें।</u>

ह०
निदेशक

क्रमांक :– एफ.वी.3 ( )/निगो/गौपंसु/मुमबघो/2016 9195-9239 दिनांक :– 20.9.17

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन एवं गोपालन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, पशुपालन विभाग, राज. जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक/मुख्य लेखाधिकारी/कार्यालय हाजा।
5. समस्त जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
6. उप निदेशक, पशुपालन विभाग, कुचामनसिटी (नागौर)।
7. रक्षित पत्रावली कार्यालय हाजा।

निदेशक